न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीं अनिल कुमार आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या 41/2025

उनवान

प्रार्थीगण — **विप्रार्थीगण**

1.अणछी पत्नी भोमाराम वगैराह 2–11 — 1.आईदानसिंह पुत्र तेजमालसिंह वगैराह 2–26

27.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

आवेदन संख्या :–41/2025 — दिनांक :–09.04.2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा भाचभर पटवार हल्का भाचभर के खसरा संख्या 236 क्षेत्रफल 6.8392 हेक्टयर उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पडोसी है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थीगण अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण 1 से 19 एंव 25 से 26 बाद्व तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गयी। तथा विप्रार्थी संख्या 20 से 24 द्वारा जवाबमय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसे स्वीकार कर मौजा भाचभर, पटवार मण्डल भाचभर, में अवस्थित मूल खसरा नंबर 232 एंव उससे विभक्त खसरों की नेखमबंदी किये जानें का निवेदन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी खेत खसरा नंबर 236 रकबा 6.8392 हेक्टैयर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है तथा मूल खेत खसरा नंबर 232 एंव उससे विभक्त खसरा नंबर विप्रार्थी संख्या 20 से 24 की खातेदारी कृषि भूमि है इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। अन्य विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड जारी होने बावजूद उपस्थित नही एवं जवाब प्राप्त नही। अतः प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एंव विप्रार्थी संख्या 20 से 24 का जवाबमय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा भाचभर पटवार हल्का भाचभर के खसरा संख्या 236 क्षेत्रफल 6.8392 एंव मूल खसरा नंबर 232 व उससे विभक्त खसरा नंबर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खडीन को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक खडीन को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय में स्थगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। आवश्यकतानुसार भू अभिलेख निरीक्षक खडीन को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्व पालना की जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : रीडर/2025/ 478-83 — दिनांक : 09/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है किं प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. भू अभिलेख निरीक्षक खडीन।
3. हल्का पटवारी भाचभर।
4. थानाधिकारी रामसर।
5. प्रार्थीगण अणछी पत्नी भोमाराम वगैराह ।
6. विप्रार्थीगण श्री आईदानसिंह पुत्र तेजमालसिंह वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी